Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 16-08-2005

Participants : Sangwan Shri Kishan Singh

>

Title : Alleged lathi charge on 3500 dismissed H.S.I.S.F employees in Rohtak, haryana.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, कुछ दिन पहले हरियाणा के गुड़गांव में मजदूरों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसकी सारे देश ने, इस हाउस के लगभग सभी माननीय सदस्यों नो और सभी राजनीतिक दलों ने उस बर्बरतापूर्वक घटना की निंदा की थी। अभी तक वह मामला ठण्डा भी नहीं हुआ था कि 14 तारीख को रोहतक में उसी प्रकार का एक और काण्ड हुआ है। पुलिस ने उसी बर्बरता का परिचय देते हुए, औद्योगिक सुरक्षा बल से निकाले हुए साढ़े तीन हजार कर्मचारी जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, 6-7 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को देने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोका और वही हालात हुए, जैसे कि गुड़गांव में हुए थे। इसमें 50 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। जब वे अस्पताल में गए तो उन्हें वहां दाखिल नहीं किया गया, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मैं स्वयं अस्पताल गया था और डॉक्टरों से भी मिला था, लेकिन सरकार का उन पर इतना दबाव था कि उनको एडमिट नहीं किया गया बल्कि उन्हें सीधे थाने ले जाया गया और उन पर मुकदमा बनाया गया। उनको धमकी दी जा रही है कि यदि वे अपना धरना नहीं उठाएंगे तो गुड़गांव वाला हाल कर देंगे।

महोदय, यह बहुत शर्मनाक बात है कि गुड़गांव में इतना बड़ा मामला हुआ, लेकिन उसे उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है, यानी उस कांड को मान्यता दे दे गई है कि यदि हरियाणा में लोकतन्त्र की आवाज उठायी जाएगी तो उसका गुड़गांव जैसा ही हाल होगा। जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसमें उन कर्मचारियों का कोई दोा नहीं है। केन्द्र सरकार ने, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 में उनकी भर्ती के लिए सैंक्शन दी थी ताकि उन्हें औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्रूट किया जा सके। हरियाणा विधान सभा से वह पास हुआ था, राज्यपाल महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और बाकायदा उसकी अखबार में एडवर्टाइज़मेंट निकाली गयी थी तथा उन लोगों ने अप्लायी किया था। एक लम्बी प्रक्रिया, जो भर्ती के लिए होती है, उसके हिसाब से उन्हें भर्ती किया गया था। इसके बाद वे ट्रैनिंग पर चले गए। कई महीने ट्रैनिंग चलती रही। इसी बीच में चुनाव आ गए, सरकार बदली और सरकार बदलते ही, नई सरकार की नीयत खराब हो गई। उनके तीन महीने के ट्रैनिंग पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। फिर उन सबको सामुहिक छुट्टी पर भेज दिया गया और पीछे से कैबिनेट ने फैसला करके, उनकी एक महीने की ट्रेनिंग, जो 30 जून को खत्म होनी थी, उससे पहले ही 29 जून को साढ़े तीन हजार कर्मचारियों को एकदम से बर्खास्त कर दिया गया। आज वे न्याय की मांग कर रहे हैं। यदि कोई तकनीकी फाल्ट है, जिनका कसूर है, जिन्होंने भर्ती की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज साढ़े तीन हजार बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। उनमें बहुत जबर्दस्त एज़ीटेशन है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे गृह मंत्री जी को सूचना दे दें। उनमें से एक महिला कर्मचारी ने आत्मदाह कर लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। 17 आदमी अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने क्लीयर कट नोटिस दिया हुआ है कि यदि हमारी सुनवायी नहीं होगी या हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सभी आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए यह बहुत सीरियस मामला है। यह बहुत बड़ी बात बनेगी और गुड़गांव से भी बड़ा एपिसोड बनेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस पर गौर करे और उन बच्चों को पुनः नौकरी पर रखा जाए या दूसरे महकमों में उनको एडजस्ट किया जाए। वहां की स्थिति बहुत गम्भीर है, यह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। धन्यवाद।